न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2018

सरोज कंवर पत्नी वीर सिंह जाति राजपूत निवासी अन्तरौली कलां तहसील डेगाना जिला नागौर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. वीर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी अन्तरौली कलां तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त.अधि. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 31.05.2013
उपस्थिति :—
श्री सुशील गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 12.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया/वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 1 एम.एल.ए. के प.नं. 49/63 मु.नं. 47 के कि.नं. 15 से 25 की 2.605है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। इसी मुरब्बा की 21 बीघा भूमि प्रार्थीया के ससुर मोहनसिंह को आवंटन हुई थी। मोहनसिंह के देहान्त के बाद कि.नं.15 से 25 की 2.605है0 भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम व शेष भूमि अप्रार्थी सं. 2 के भाई के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अप्रार्थी सं. 1 को मिली भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन, बैय करने की कोशिश में है। प्रार्थीया को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जीवनयापन के लिए भूमि दे रखी है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा यदि भूमि का किसी प्रकार से हस्तांतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीया के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प गंगाशहर

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित है। अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 31.05.2013 को प्रार्थीया का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. सं. 1 को जरिये रजि. सम्मन से तलब किया गया था। पी.ओ. रसीद शामिल है लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 ने अपीलांट को सहमति से भूमि दे रखी है जिस पर वह काबिज चली आ रही है। अपीलांट भूमि को आगे रहन, बैय करने की फिराक में है। यदि रेस्पों. द्वारा भूमि का आगे बेचान कर दिया तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट एवं रेस्पों. आपस में पत्नी और पत्नी है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पों. सं. 1 के नाम से दर्ज है। अपीलांट का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा बनता है या नही इसका निर्णय तो गुणावगुण पर साक्ष्यों उपरांत मूल वाद में तय होगा। अपीलांट द्वारा अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसे कोई समझौते में कोई भूमि दे रखी हो और उसका कब्जा काश्त हो। अधी. न्यायालय में जो दस्तावेज पेश हुए उसमें विवाह विच्छेद की डिक्री में अपीलांट को गुजारा भत्ता देने का आदेश है। इस प्रकार अपीलांट का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता था। रेस्पों. सं. 1 विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थी/रेस्पों. के पक्ष में मानते हुए सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पों. सं. 1 के पक्ष में मानकर अधी. न्यायालय ने स्थगन हेतु प्रा.पत्र खारिज किया है। इस विवेचन के अनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प गंगानगर

अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर